	बैंक ऑफ़ इंडिया **प्रधान कार्यालय**	**मानव संसाधन विभाग** **औद्योगिक संबंध प्रभाग**
शाखा परिपत्र सं.: 113/ 123		**विषय : मानव संसाधन/2019-20/**
उप-विषय : स्टाफ संबंधी मामले (अधिकारी/अवार्ड स्टाफ)		
संदर्भ : एचओ:एचआर:आईआर:जीएस:03		**दिनांक: 25-09-2019**

सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

अधिकारी कर्मचारियों तथा अवार्ड स्टाफ सदस्यों
को त्योहार/जन्मदिन उत्सव (जयंती) मनाने के लिए
ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम की मात्रा में संशोधन

शाखा परिपत्र 103/88 दिनांक 18.08.2009 के माध्यम से सूचित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारी तथा अवार्ड स्टाफ सदस्य कुछ चयनित त्योहारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जन्मदिन (जयंती) मनाने के लिए ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे अग्रिम की राशि, किसी ऊपरी सीमा के निरपेक्ष संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन के सबसे नजदीकी हजार तक सीमित होगी। लिपिक तथा अधीनस्थ स्टाफ के मामले में ऐसा ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम, मूल वेतन के सबसे नजदीकी हजार पर निर्धारित किया गया है परंतु यह न्यूनतम क्रमश: रु.8,000/- तथा रु.6,000/- है।

2. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम में पिछला संशोधन करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, अत: 16.09.2019 को हुई बैठक में निदेशक मण्डल ने प्रसन्नतापूर्वक, सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए 'एक माह के सकल (ग्रॉस) वेतन' (न्यूनतम हजार तक राउंड ऑफ) की सीमा तक ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम की मात्रा को संशोधित किया जाना अनुमोदित किया है। ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम किसी भी ऊपरी सीमा के निरपेक्ष होगा, परंतु यह इस सामान्य शर्त के अधीन होगा कि 'ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम' सहित, सभी ऋणों और अग्रिमों के कारण कुल कटौतियॉ, आवेदक के सकल वेतन के 65% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. परंतु, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ऐसे कर्मचारी जिनका किसी भी कारण से बैंक की सेवा की स्थायीकरण नहीं हुआ है या ऐसे कर्मचारी जो निलंबन के अधीन हैं, वे उक्त वेतन अग्रिम प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

4. ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में हुई है या अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग से लिपिक संवर्ग में हुई है, वे उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान, ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम प्राप्त करने के पात्र होंगे जो कि उस संवर्ग के लिए लागू है जिसमें वे ऋण स्वीकृति के समय कार्य कर रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी, लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग या अधीनस्थ संवर्ग से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के बाद ब्याज-मुक्त वेतन अग्रिम प्राप्त करता है तथा इसके बाद पदावनति (रिवर्जन) का विकल्प चुनता है तो वेतन अग्रिम की अवधि के लागू होने की समाप्ति तक उक्त ब्याज मुक्त वेतन अग्रिम जारी रहेगा परंतु इसकी शर्त यह होगी कि कुल कटौती, सकल वेतन के 65% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

5. त्योहारों और जयंतियों की निर्देशात्मक (इंडिकेटिव) सूची इस परिपत्र के अनुलग्नक में दी गयी है।

6. उपर्युक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस मामले में समय-समय पर जारी सभी अन्य दिशा-निर्देश/अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

7. कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु को शाखाओं/कार्यालयों में कार्य करने वाले सभी स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लाएं।

आई सी मिश्र
(आई.सी.मिश्र)
महाप्रबंधक - मा.सं.

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई MUMBAI

D:\KAVITA_DATA_BACK-UP\kavita\वर्ष 2019-20\br cir\sept 2019\hrd int free salary advance.docx

शाखा परिपत्र संख्या 113/123 दिनांक 25/09/2019 का अनुलग्नक

त्योहारों/जयंतियों की निर्देशात्मक (इंडिकेटिव) सूची

त्योहार	जयंती
1. बैसाखी	1. छत्रपति शिवाजी
2. बकरीद	2. डॉ.बी.आर.अम्बेडकर
3. बुद्ध पूर्णिमा	3. गांधी जयंती
4. क्रिसमस	
5. धर्म चक्र प्रवर्तन	
6. दिवाली	
7. दुर्गा पूजा (दशहरा)	
8. गणेश चतुर्थी	
9. होली	
10. महाशिवरात्री	
11. ओनम	
12. पारसी नववर्ष	
13. पोंगल	
14. रमज़ान - ईद	
15. उगादी	
16. भगवान् जगन्नाथ रथ यात्रा	

राज्य या राष्ट्रीय स्तर के किसी अन्य त्योहार पर भी विचार किया जा सकता है।

****

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई MUMBAI O. L. DEPT. H.O. राजभाषा विभाग प्र.

	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No. : 113/123		Sub: Human Resources / 2019-20/
Sub-subject: Staff matters (Officers/Award Staff)		
Ref : HO:HR:IR:GS:03		Date : 25-09-2019

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

Revision in the quantum of Interest-Free Salary Advance to Officer Employees and Award Staff members for celebrating Festivals / Birthday Celebrations (Jayanties)

As per extant guidelines conveyed in terms of Branch Circular No.103/88 dated 18.08.2009, Officers and Award Staff members are eligible for availing interest-free salary advance for celebrating certain identified Festivals and Birthdays (Jayanties) of Eminent Personalities. The amount of such advance is restricted upto the nearest thousand of Basic Pay of the concerned employee without any ceiling. In case of Clerical and Subordinate Staff, such interest- free salary advance is fixed at the nearest thousand of Basic Pay, subject to a minimum of Rs.8,000/- and Rs.6,000/- respectively.

2. Looking at the fact that the last revision in interest-free salary advance was effected almost a decade ago, the Board of Directors in the meeting held on 16.09.2019 was pleased to accord approval for revision in the quantum of interest-free salary advance to the extent of 'One Month Gross Pay' (Rounded off to the lowest Thousand) to all permanent employees. The interest- free salary advance shall be without any ceiling but subject to the general stipulation that total deductions on account of loans and advances including the interest free salary advance should not exceed 65% applicant's gross salary.

3. It may, however, be noted that employees whose services are yet to be confirmed for any reason whatsoever and employees under suspension shall not be eligible for availing the said salary advance.

4. Staff employees promoted from Clerical cadre to Officer cadre or from Subordinate Staff cadre to Clerical cadre shall be eligible for availing the interest-free salary advance as applicable to the Cadre in which they were working at the time of sanction of the said advance during their probationary period. In case an employee after being promoted from Clerical cadre to Officer cadre or from Subordinate cadre to Clerical cadre avails interest-free salary advance and thereafter opts for reversion, the said interest-free salary advance shall continue till the end of the currency of the period of the salary advance, subject to total deductions should not be exceeding 65% of gross salary.

5. The indicative list of Festivals and Jayanties is given in the Annexure to this Circular.

6. The aforesaid revision shall be effective from the date of issue of this Circular. All other guidelines / instructions issued in the matter from time to time shall remain unchanged.

7. Please bring contents of this Circular to the notice of all staff members working in the Branches / Offices.

(I.C. Mishra)
General Manager- HR

BANK OF INDIA IND. RELTN. DIVN. H.O. B. K. COMPLEX

\\172.16.18.27\d\kiran\GSurayya\Circulars\Festival Advance enhancement.doc

Annexure to Branch Circular No 113/123 dated 25/09/2019

Indicative list of Festivals / Jayanties

Festivals	Jayanties/Birthdays
1. Baishakhi	1. Chhatrapati Shivaji
2. Bakri-id	2. Dr B R Ambedkar
3. Buddha Purnima	3. Gandhi Jayanthi
4. Christamas	
5. Dhamma Chakra Pravartan	
6. Diwali	
7. Durga Puja (Dussehra)	
8. Ganesh Chaturthi	
9. Holi	
10. Maha Shivaratri	
11. Onam	
12. Parsi New Year	
13. Pongal	
14. Ramzan-Id	
15. Ugadi	
16. Lord Jaggannath Rath Yatra	

Any other Festival of State or National level can also be considered.

****

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA
IND. RELN. DIVN. H.O.
B. K. COMPLEX